(वाद संख्या–785/4/30/2020)

<u>24.02.2022</u>

परिवादी, टुनटुन कुमार, एवं अन्य की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मासूम आलम एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर, श्री मदन राय उपस्थित है।

संचिका का अवलोकन किया व उभय पक्ष को सुना।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, टुनटुन कुमार, सहित खानपुर प्रखण्ड स्थित दक्षिणी पंचायत में , पंचायत के 12 पंचायत शिक्षकों को विगत दो वर्षों से वेतन का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त पर **जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर** से प्रतिवेदन की मांग की गयी। **जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 12 परिवादियों को उनके योगदान की तिथि से जनवरी, 2022 तक के बकाया वेतन का भुगतान रु0 5376720/– (तिरपन लाख छियहत्तर हजार सात सौ बीस रुपये) उनके सम्बन्धित बैंक खाता में भुगतान किया जा चुका है।

आज राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित परिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर के उपरोक्त कथन को स्वीकार करते है।

अब जबकि परिवादीगण के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, आज पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए **जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>